राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1895/2013
दामोदर प्रसाद जोशी (मृतक) जरिये विधिक उतराधिकारी

1/1 राजेन्द्र प्रसाद जोशी पुत्र आत्मज श्री दामोदर प्रसाद जोशी

1/2 सुनील कुमार जोशी पुत्र श्री दामोदर प्रसाद जोशी

1/3 शकुन्तला शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद जोशी पत्नी श्री रामगोपाल
1/4 इंदिरा शर्मा पुत्री श्री दामोदर प्रसाद जोशी पत्नी श्री जगदीशप्रसाद शर्मा

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. कलेक्टर (भू.अ.) अजमेर, जिला अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.02.2013

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 02.11.1955 को पटवारी के पद पर हुई थी। इसके पश्चात वर्ष 1989 में अपीलार्थी को भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी ने अपनी अधिवार्षिकी आयु पूरी करने पर दिनांक 28.02.1994 से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। अपीलार्थी को राज्य सरकार (वित्त विभाग) के आदेश दिनांक 25.01.1992 की अनुपालना में 18 वर्षिय द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ व 27 वर्षिय तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया, जो वह 25.01.1992 से प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी ने 18 वर्षिय व 27 वर्षिय चयनित वेतनमान प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। एक प्रतिवेदन 15.08.2005 को प्रस्तुत किया, जिसमें अपीलार्थी ने यह निवेदन किया कि उसे 25.01.1992 से 18 वर्षिय व 27 वर्षिय चयनित वेतनमान का लाभ दिया जावे। आदेश कमांक कअ/भूअ/विजा/06/4083 दिनांक 31.05.2006 के द्वारा कलेक्टर (भू.अ) अजमेर ने यह आदेश पारित किया कि अपीलार्थी को 25.01.1992 के परिपत्र के अनुसार चयनित वेतनमान का लाभ देय नहीं है। उक्त आदेश में यह दर्शाया कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में 17.06.1983 को दो फौजदारी प्रकरण

विचाराधीन थे, जिसमें 13.04.2001 को दोष सिद्ध होने पर दण्डित किया गया है। इसलिए अपीलार्थी द्वितीय व तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर 28.02.1994 को सेवानिवृत कर दिया और आदेश दिनांक 11.08.2005 एवं संशोधन दिनांक 24.10.2005 के द्वारा फौजदारी प्रकरण में दण्डित होने के आधार पर देय पेशन का 5 प्रतिशत भाग तीन वर्ष तक रोक दी। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति 01.11.1955 है और 25.01.1992 के परिपत्र के आधार पर और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के आधार पर उसको चयनित वेतनमान देने के लिए प्रथम नियुक्ति से जब तक उसने 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण की तब तक का रिकार्ड देखा जाना चाहिये था। स्वीकार्य रुप से अपीलार्थी ने नवम्बर 1973 में 18 वर्ष पूर्ण कर लिये। उस दिनाक तक अपीलार्थी के कोई दण्ड नहीं था इसलिए वह 25.01.1992 से 18 वर्षिय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। इसी प्रकार अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवा वर्ष 1982 में पूर्ण कर ली और तब तक कोई दण्ड नहीं था इसलिए वह 27 वर्षिय चयनित वेतनमान का लाभ 25.01.1992 से प्राप्त करने का अधिकारी है व एरियर राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है व उक्त लाभ दिये जाने के पश्चात उसके वेतन के आधार पर पीपीओ, जी.पी.ओ व सी.पी.ओ. संशोधित करवाकर लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी को नियमानुसार जो परिलाभ देय थे वे अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृति के समय नियमानुसार प्रदान किये जा चुके है। अपीलार्थी दिनांक 28.02.1994 को सेवानिवृत हो गया और अपील 2013 में प्रस्तुत की है। अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर होने के कारण से खारिज किये जाने योग्य है। 18 वर्षीय एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के संबंध में निवेदन इस प्रकार से है कि राज्य सरकार का आदेश दिनांक 25.01.1992 दिनांक 25.01.1992 से प्रभावी होने के कारण चयनित वेतनमान के लाभ इस दिनांक से देय बनते है, किन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्ध होने से राज्य सरकार के आदेशों से इनकी पेंशन को 3 वर्ष तक रोके जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यदि इन्हे दिनांक 25.01.1992 में उक्त दण्डाअवधि के 3 वर्ष मानकर भी देय लाभ आगे बढाये जाते है तो भी दिनांक 25.01.1995 से पूर्व कोई लाभ नही दिया जा सकता है, जब कि अपीलार्थी दिनांक 28.02.1994 को ही सेवानिवृत हो चुके है। अपीलार्थी के विरूद्ध

राजकीय राशि का दुरूपयोग करने के संबंध में दिनांक 17.06.1983 को मुंसिफ एवं न्यायिक मजि०, केकड़ी के न्यायालय में दो प्रकरण विचाराधीन थे जो कि दिनांक 19.06.1997 को अन्तरित होकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि०, क्रम संख्या–2, अजमेर के न्यायालय को प्राप्त हुए जिनका आपराधिक प्रकरण संख्या–68/1997 एवं 65/1997 थे, जिनका निर्णय दिनांक 13–04–2001 को हुआ। इन दोनों प्रकरणों में अपीलार्थी के विरूद्ध दोषसिद्धि होने पर दण्डित किया गया। अपीलार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 13.04.2001 के निर्णय के पश्चात् समस्त देय लाभों की मांग करने पर प्रकरण दिनांक 08.11.2004 से राज्य सरकार को राजस्थान सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम–7 के अंतर्गत उचित निर्णय हेतु भिजवाया गया। प्रकरण में राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 11.08.2005 संशोधित दिनांक 24.10.2005 के द्वारा अपीलार्थी दामोदर प्रसाद सेवानिवृत को देय पेंशन का 5 प्रतिशत भाग 3 वर्ष तक रोके जाने के दण्ड स्वरूप रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.01.1992 से प्रभाव में आने से अपीलार्थी दामोदर प्रसाद भू अभिलेख निरीक्षक के विरूद्ध दो आपराधिक प्रकरण संबंधी न्यायालय में विचाराधीन थे, जिनका निर्णय दिनांक 30.04.2001 को हुआ है। इससे पूर्व अपीलार्थी दिनांक 28.02.1994 को सेवानिवृत हो चुका था, अतः अपीलार्थी श्री दामोदर प्रसाद को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 25.01.1992 के अनुसार देय लाभ दिया जाना सम्भव नही है। राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 16(2) एफ.डी. रूल्स/98 दिनांक 17.02.1998 के बिन्दु संख्या–7 के अनुसार "selection grades in terms of this order shall be granted only to those employees whose record of service is satisfactory- The record of service which makes one eligible promotion on the basis of seniority shall be considered to be satisfactory for purpose of grant of selection grade." उक्तानुसार भी अपीलार्थी को लाभ देय नही है। अपीलार्थी को 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिया जा चुका है। 18 वर्षीय एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान के संबंध में निवेदन इस प्रकार से है कि राज्य सरकार का आदेश दिनांक 25.01.1992 दिनांक 25.01.1992 से प्रभावी होने के कारण चयनित वेतनमान के लाभ इस दिनांक से देय बनते है किन्तु अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्ध होने से पेरा संख्या–8 में उल्लेखित राज्य सरकार के आदेशों से इनकी पेंशन को 3 वर्ष तक रोके जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में यदि इन्हे दिनांक 25.01.1992 में उक्त दण्डाअवधि के 3 वर्ष मानकर भी देय लाभ आगे बढ़ाये जाते है तो भी दिनांक

25.01.1995 से पूर्व कोई लाभ नही दिया जा सकता है, जबकि अपीलार्थी दिनांक 28.02.1994 को ही सेवानिवृत हो चुके है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बादे भी चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी का आगे यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने 18 वर्ष की सेवाएं नवम्बर, 1973 में पूरी कर ली थी। अपीलार्थी के विरूद्ध उस तारीख तक कोई दण्ड नहीं था। इसलिए अपीलार्थी 18 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी का आगे यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की 27 वर्ष की सेवाएं वर्ष 1982 में पूरी हो चुकी थी, जब तक भी अपीलार्थी के विरूद्ध कोई दण्ड नहीं था। इसलिए अपीलार्थी 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से सर्वप्रथम यह आपत्ति रही है कि अपीलार्थी वर्ष 1994 में सेवानिवृत हो चुका है। यह अपील वर्ष 2013 में प्रस्तुत की गई है। इस कारण से अपीलार्थी की अपील अत्यंत देरी से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से आगे यह तर्क रहा है कि राजस्थान सरकार के चयनित वेतनमान के आदेश दिनांक 25.01.1992 के प्रभावी होने से चयनित वेतनमान का लाभ इस दिनांक से देय बनता है, परंतु अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरणों में दोषी होने से उसकी पेंशन की 3 वर्ष तक रोके जाने के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 25.01.1992 से दण्ड अवधि 3 वर्ष मानकर आगे बढ़ाया जाता है तो दिनांक 25.01.1995 से पूर्ण लाभ देय था और अपीलार्थी वर्ष 1994 में सेवानिवृत हो चुका है। इस कारण से अपीलार्थी को लाभ देय नहीं है।

5. जहां तक अपील को देरी से प्रस्तुत किये जाने का संबंध है तो इस संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने यह अपील उसे चयनित वेतनमान के लाभ से वंचित रखे जाने के पर प्रस्तुत की है। चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने पर वाद हेतुक निरंतर रहता है। इस कारण से अपील को अवधि बाधित होना नहीं माना जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण कमल किशोर जोशी बनाम राजस्थान राज्य 2005(1) WLC (RaJ.) Page 397 में यह मत व्यक्त किया है कि अपीलार्थी को हर माह अधिक वेतन भुगतान से वंचित रखा जा रहा है जो वाद हेतुक निरंतर रहता है। इस कारण से चयनित वेतनमान के वाद हेतुक को अवधि

बाधित होना नहीं माना जा सकता। हम माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टांत से पूर्णतः सहमत है। इस प्रकरण में भी अपीलार्थी ने उसे चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिये जाने के आधार पर अपील प्रस्तुत की है, जो वाद हेतुक निरंतर जारी है। ऐसे में अपीलार्थी की अपील इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती है कि अपील देरी से प्रस्तुत की गई है। परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी विभाग की यह आपत्ति निरस्त की जाती है।

6. गुणावगुण पर विचार किया गया। चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम कुलदीप सिंह चौहान एवं अन्य डब्ल्यू.एल.सी. राजस्थान 1998(3) पेज 1 में यह मत व्यक्त किया गया है कि 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा की संगणना परिपत्र की तिथि से नहीं की जा सकती, जो कि अर्हता की तिथि नहीं है, मात्र वहीं तिथि जब कर्मचारी 9, 18 या 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करके संगत होने के कारण कर्मचारी की हकदारी से 7 वर्ष पूर्व की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट ही संगत होगी।

7. उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की पात्रता को देखने के लिये दिनांक 25.01.1992 जो कि परिपत्र की दिनांक है, महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह दिनांक महत्वपूर्ण है, जिस तारीख को अपीलार्थी 18 व 27 वर्ष की सेवा पूरी करता है अर्थात उक्त तारीख को ही अपीलार्थी की अर्हता देखी जाएगी। अपीलार्थी ने जिस दिनांक को 18 व 27 वर्ष की सेवा पूरी की है, उसके पूर्व की मूल्यांकन रिपोर्ट न्यायसंगत मानी जा सकती है। ऐसे में अपीलार्थी को 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान से वंचित रखने का आधार जो प्रत्यर्थी विभाग ने उठाया है वह उचित नहीं है।

8. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.05.2006 (अनुलग्नक–2) निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक को उसकी अर्हता देखी जाए और उसे 18 व 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करते हुए एरियर राशि का भुगतान किया जाए व पारिणामिक सेवानिवृत्ति लाभ भी प्रदान किये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)